फा.सं.275/65/2013-सीएक्स.8ए (खंड)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)
विधायी कक्ष
*****

विंग 5 'सी' हुडको-विशाला बिल्डिंग
भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम
नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

सेवा में,

1. सीमाशुल्क एवं जीएसटी के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त
2. सीमाशुल्क एवं जीएसटी के सभी प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक
3. <webmaster.cbec@icegate.gov.in>

महोदय/महोदया,

विषय: <u>न्यायालयों/न्यायाधिकरण में अपील/याचिका दाखिल करते समय निर्धारित परिसीमन का सख्त अनुपालन</u>

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील/याचिका दायर करते समय समय-सीमाओं के कड़ाई से पालन के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं, नवीनतम अनुदेश समसंख्यक फाइल के माध्यम से 23.12.2020 को जारी अनुदेश है (सीबीआईसी की वेबसाइट पर प्रतिलिपि उपलब्ध है)। इसके बावजूद, देरी के लिए क्षमादान सम्बंधी आवेदन दाखिल करते समय किन्हीं भी असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख किए बिना, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विलम्ब से अपील/याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

2. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय असाधारण विलम्ब से अपील दायर करने की कवायद को गम्भीरता से लेता आया है और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं पर लागत थोपता आया है। एसएलपी (क्रि.) डायरी संख्या 24676/2020 में भारत संघ बनाम जितेंद्र के ऐसे ही एक मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय ने दिनांक 08.01.2020 के अपने निर्णय में निम्नलिखित नोट किया

"*हम इस न्यायालय के समक्ष आने वाले अधिकारियों के असाधारण विलंब के बाद आने की आदत का बार-बार विरोध करते आ रहे हैं, जो यह मानते हैं कि परिसीमन सम्बंधी कानून उन पर लागू नहीं होता। बार-बार, उन श्रेष्ट निर्णयों पर भरोसा रखा जाता है जब तकनीक आसानी से उपलब्ध नहीं थी। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय एवं अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड एवं अन्य -(2012) 3 एससीसी 563 के केस में परिणामी निर्णय का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है जिसमें इस मुद्दे पर निर्णय किया गया था कि समय पर अपील दायर करने की सरकार की क्षमता पर विचार अब उपलब्ध तकनीक के आधार पर किया जाएगा और केवल एक टेबल से दूसरी टेबल तक फाइलों का फेरबदल करना कोई पर्याप्त कारण नहीं माना जाएगा।*

हमने ऐसे मुकदमों को "प्रमाणपत्र मुकदमे" के रूप में भी वर्गीकृत किया है। हमने इस तरह के मामलों को खत्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से बर्खास्तगी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऐसे मामले दर्ज करने हेतु उद्देश्य निर्दिष्ट किया है और इस प्रकार, यह रिकॉर्ड करते हैं कि चूंकि उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। *यह समय पर उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में चूक करने वाले अधिकारियों को बचाने के प्रयास सम्बंधी औपचारिकता को पूरा करना है। विडंबना यह है कि हमारे पुनरावृत्त आदेशों के बावजूद, कम से कम उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ न के बराबर कार्रवाई की जाती है जो फाइलों को दबा कर बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। पूर्वधारणा यह है कि जिस ढंग से मांगा जाएगा, यह न्यायालय उसी ढंग से देरी को माफ कर देगा। हम ऐसे मार्ग पर चलने से इनकार करते हैं।* " (जोर दिया गया)

और याचिकाकर्ता पर लागत थोपी गई।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) डायरी संख्या 9217/2020 में मध्य प्रदेश राज्य बनाम भेरुलाल के मुकदमे और एसएलपी (सी) डायरी संख्या 9228/2020 में ग्रेटर मुम्बई नगर निगम एवं अन्य बनाम उदय एन. मुर्दुकर के मुकदमें में ऐसा ही फैसला किया गया था।

4. वर्ष 2012 की सिविल अपील संख्या 2474-2475 में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय एवं अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की कतिपय टिप्पणियों को उजागर करना भी अनिवार्य है, जो इस प्रकार हैं:

"12) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इस अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के माध्यम से मामले को उठाने के लिए परिसीमन की निर्धारित अवधि सहित इसमें शामिल मुद्दों के बारे में संबंधित व्यक्ति अच्छी तरह से वाकिफ थे अथवा उसे /उन्हें इसकी जानकारी थी। जब विभाग में अदालती कार्यवाही की समझ रखने वाले सक्षम व्यक्ति मौजूद हैं, तो वे यह दावा नहीं कर सकते कि उनके परिसीमन की अवधि अलग है। मुमकिम एवं स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, हम यह पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ इसलिए यांत्रिक रूप से देरी को माफ कर दिया जाए क्योंकि सरकार या सरकार का एक स्कंध हमारे समक्ष एक पक्ष के रूप में है। यद्यपि हम यह बात जानते हैं कि विलंब सम्बंधी क्षमादान के मामले में, जब कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी न हो, पर्याप्त न्याय करने के लिए एक उदार नज़रिया अपनाया जाना चाहिए, हमारा मानना है कि मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग विभिन्न पूर्व निर्णयों का लाभ नहीं ले सकता। उपलब्ध एवं प्रयोग की जा रही आधुनिक तकनीकों के मद्देनज़र अनेक प्रकार के नोट तैयार करने के अवैक्तिक तंत्र तथा विरासत में मिली नौकरशाही की कार्यप्रणाली के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ***परिसीमन कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी पर बाध्यकारी है।***

13) हमारे विचार से, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और उपकरणों को सूचित करने का यह सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण न हो और कोई ईमानदार प्रयास न किया गया हो, तब तक यह आम स्पष्टीकरण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक दफ्तरशाही की अधिकता के कारण फ़ाइल को कई महीनों /वर्षों तक लंबित रखा गया था। ***सरकारी विभागों का यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ करें। देरी के लिए माफी एक अपवाद है और इसका उपयोग सरकारी विभागों के लिए एक प्रत्याशित लाभ के रूप में नहीं किया जाना चाहिए*** *। कानून की नज़र में सब समान हैं और इसे कुछ लोगों के लाभ के लिए नहीं घुमाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न तिथियों का उल्लेख करने के अलावा विभाग द्वारा देरी के लिए कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, हमारे अनुसार, विभाग इतनी अधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त किन्हीं भी स्वीकार्य और स्पष्ट कारणों को प्रस्तुत करने में बुरी तरह से विफल रहा है।"* (जोर दिया गया)

5. इसलिए, क्षेत्रीय कार्यालयों को न्यायालयों/ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील/याचिका दायर करने में परिसीमन के पहलू का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। कृपया फा.संख्या 1080/डीएलए/50/टेक/मॉनिटरिंग/एसएलपी-अपील/16 दिनांक 01.06.2017 (सीबीआईसी वेबसाइट पर प्रतिलिपि उपलब्ध) के द्वारा जारी अनुदेश, जिसमें एसएलपी और सिविल अपील दाखिल करने की नई समय-सीमा दी गई थी, का भी संदर्भ लें। आपके क्षेत्राधिकार के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बिना किन्हीं ठोस कारणों के, यदि कोई हो, एक यांत्रिक तरीके से देरी के लिए क्षमादान सम्बंधी आवेदन दायर करने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। क्षेत्राधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से यह निगरानी करनी चाहिए कि दिनांक 23.12.2020 के बोर्ड के अनुदेश के पैरा 2(ii) में यथा वर्णित राजस्व हित में अपील/याचिकाएं समय पर दायर की जाएं। केवल परिसीमन के आधार पर खारिज की गई किसी भी अपील/याचिका की निष्ठापूर्वक जांच की जानी चाहिए और सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है, जहां भी पात्रता नज़र आए।

6. माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर महत्वपूर्ण याचिकाएं/अपील, जिनका अखिल भारतीय प्रभाव होगा और जिनके लिए बोर्ड से नीतिगत निविष्टि की आवश्यकता होगी, को तुरंत आयुक्त (विधायी) के साथ-साथ बोर्ड के संबंधित नीति अनुभाग के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। बोर्ड को सौंपी जा रही मासिक रिपोर्ट में भी अलग से इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

(अनीष गुप्ता)

ओएसडी (विधायी)